1

संख्याः 6525 / VII-2 / 161–उद्योग / 2006

प्रेषक,

डा0 हेमलता ढौंडियाल
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्योग,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
देहरादून।

औद्योगिक विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 17 दिसम्बर, 2007

विषयः वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु पी0एम0आर0वाई0 योजना में वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के पत्र संख्या PMRY-P (N-1(7)2005(1) दिनांक 14 / 15.11.2007 के क्रम में आपके पत्र संख्या 3004 / बजट–8 / पीएमआरवाई / 2007–08 दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना (100% के0स0) के अन्तर्गत admissible funds for Pre-Selection Motivational Campaign में केन्द्र सरकार द्वारा अवमुक्त कर दी गई धनराशि के विपरीत राज्य सरकार के उद्योग विभाग के आय व्ययक से रू0 5,00,000 / –(रूपये पांच लाख मात्र) की धनराशि व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त धनराशि आपके निवर्तन पर इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसमें धनराशि स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है तथा इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों / आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिससे व्यय करने पर बजट मैनुअल अथवा वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लघंन होता हो।

3– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.2008 तक उपयोग कर लिया जायेगा। वर्षान्त तक स्वीकृत धनराशि के विपरीत वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के पश्चात् यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे दिनांक 31.03.2008 तक शासन को समर्पित किया जायेगा।

4– उक्त योजना पर धनराशि का व्यय करते समय उपरिउल्लिखित भारत सरकार के शासनादेश दिनांक 14 / 15.11.2007 के द्वारा निर्गत समस्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा और निर्धारित समयावधि के अन्दर अवमुक्त की जा रही धनराशि

का उपयोग करके भारत सरकार एवं राज्य सरकार को इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

5– व्यय उन्हीं कार्यों/योजनाओं पर किया जायेगा जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।

6– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु अनुदान संख्या–23 के मुख्य लेखाशीर्षक, 2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनागत, 102–लघु उद्योग, 01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना, 02–प्रधानमंत्री रोजगार योजना (100% के0स0), 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

7– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 294/XXVII(2)/2007 दिनांक 7 दिसम्बर, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 6525(2)/VII-2/161–उद्योग/2006, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2
8. गार्ड–फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव।